न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

A2/1

525/16

पीठासीन अधिकारी : श्री लाखाराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 525/2016

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सुरजीत सिंह पुत्र केसर सिंह मजहबी सिख निवासी 42 जीजी हाल 18 एस डी तहसील श्री विजयनगर		1. गुरमेल कौर पत्नि केसर सिंह 2. सुखमन्द्र सिंह पुत्र केसर सिंह 3. जसपाल सिंह पुत्र केसर सिंह 4. कृपाल सिंह पुत्र केसर सिंह सभी जातियान महजबी सिख निवासीगण 42 जीजी तहसील श्रीकरणपुर 5.. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

--निर्णय-- तारीख रजू:- 13.07.2020

उपस्थितः 1.श्री सतीश कुमार अरोडा अधिवक्ता प्रार्थीगण
2.श्री युधिष्ठर सिंह सैनी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 4

दिनांकः 24/12/2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 42 जीजी के खाता संख्या 25/24 के मुरब्बा नम्बर 42 के किला न. 1 ता 25 की कुल 6.200 हैक्टर में से 1/7 हिस्सा खातेदारी प्रार्थी के पिता केसर सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी के पिता स्व. केसर सिंह पुत्र नर सिंह ने अपने जीवनकाल में दो शादियां की पहली जंगीर कौर से की जिससे वादी पैदा हुआ, वादी की माता जंगीर कौर का देहांत हो चुका है, तथा दुसरी शादी केसर सिंह ने अप्रार्थी संख्या 1 से जंगीर कौर के जीवनकाल में ही की, जिससे अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 पैदा हुए। केसर सिंह का देहांत दिनांक 11.05.2012 को हो चुका है। केसर सिंह ने अपने जीवनकाल में प्रार्थी को अलग करते हुए पारिवारिक समझौता करके प्रार्थी को 42 जीजी के मुरब्बा नम्बर 49 हाल 42 का किला न. 22 सालम व किला न. 19 के 10 बिस्वा कुल 1 बीघा 10 बिस्वा अपनी सहमति से पारिवारिक समझौता में देकर इस सम्बन्ध में लिखित दिनांक 25.05.1982 को रोबरू गवाहन 5 रूपये के स्टाम्प पर तहरीर तकमील करवाकर अपना अगूठा लगाया गया। इस प्रकार वादी का कब्जा उपर्युक्त 1 बीघा 10 बिस्वा पर सन् 1982 से निरंतर आज तक चला आ रहा है। प्रार्थी के पिता के देहांत के बाद अब प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के मन में बदनीति आ गई है, तथा वह कोई कूटरचित वसीयत बनाकर रकबा अपने नाम जरिए इंतकाल दर्ज करवाकर वादी/प्रार्थी को जबरन बेदखल करने की कोशिश में है। यदि वह इसमें सफल हुए तो वादी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा तथा मौके पर कभी कोई अप्रिय घटना होकर जानमाल का नुकसान हो सकता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश करके अर्ज है कि ताफैसला [illegible] प्रार्थीगण के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर जारी की जावें कि [illegible] उपर्युक्त आराजी चक 42 जीजी के खाता संख्या 25/24 के मुरब्बा नम्बर 49 व 42 के 6.200 हैक्टर में से 1/7 हिस्सा का इंतकाल अपने नाम करवाने प्रार्थी को 1 बीघा 10 बिस्वा से जबरन बेदखल करने तथा अन्य किसी को रहन बैय मुंतकिल करने से बाज व ममनू रहे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.03 11:39:29 IST
Reason: SelfAttested

A2/2

525/16

सुरजीत सिंह बनाम गुरमैल कौर आदि

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए, प्रकरण संख्या 525/2016

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री युधिष्टर सिंह सैनी उपस्थित आए व जवाब प्रार्थना पत्र मय अतिरिक्त कथन पेश किए। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार यह कथन गलत है कि केसर सिंह ने अपने जीवनकाल में प्रार्थी को अलग करते हुए पारिवारिक समझौता करके प्रार्थी को चक 42 जीजी के मुरब्बा नम्बर 49 हाल 42 के किला न. 22 सालम व किला नम्बर 19 के 10 बिस्वा कुल 1 बीघा 10 बिस्वा रकबा अपनी सहमति से पारिवारिक समझौता में देकर इस संबध में लिखित दिनांक 25.05.1982 को रूबरू गवाहान 5 रूपये के स्टाम्प पर तहरीर व तकमील करवाकर अपना अगूठा किया गया हो। यह तथ्य भी गलत है कि प्रार्थी का कब्जा उपर्युक्त 1 बीघा 10 बिस्वा पर सन् 1982 से निरन्तर आज तक चला आ रहा हो और पारिवारिक समझौता में यह भूमि प्रार्थी के हिस्सा मे आई हो। जबकि सही तथ्य यह है कि प्रार्थी केसर सिंह का वारिस नहीं है और ना ही केसर सिंह तथा सुरजीत कौर के नुत्फे से पैदा हुआ है। प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर केसर सिंह का वारिस बनकर गलत दावा पेश किया है जो कि खारिज किये जाने योग्य है। तथा पारिवारिक समझौता दिनांक 25.05.1982 शून्य व अवैध है। यह कथन भी गलत है कि प्रार्थी के पिता के देहान्त के बाद अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के मन में बदनीति आ गई हो और कूटरचित वसीयत बनाकर रकबा अपने नाम इन्तकाल दर्ज करवाकर मुतकिल करने तथा प्रार्थी को जबरन बेदखल करने की कोशिश में हो। और कूटरचित वसीयत शुरू से शून्य हो। सही तथ्य यह है कि अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के पिता व अप्रार्थी संख्या 1 के पति केसर सिंह उर्फ केसर नाथ द्वारा अपने जीवनकाल में पूरे होश हवास में बिना किसी नशे पत्ते के सोच समझकर तथा अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 की सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर चक 42 जीजी का मुरब्बा नम्बर 42 का किला न. 1 ता 25 में कुल तादादी 24 बीघा 10 बिस्वा नहरी रकबा में से अपना वर्तमान हिस्सा यानि 1/5 हिस्सा नहरी रकबा की दिनांक 05.02.2008 को अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के पक्ष में रूबरू गवाहान बन्द वसीयत करवा दी थी। उक्त वसीयत में यह भी दर्ज करवा दिया था कि प्रार्थी सुरजीत सिंह मेरी पत्नि सुरजीत कौर की नाजायज औलाद थी। प्रार्थी सरजीत सिंह के पैदा होने से 3-4 वर्ष पूर्व ही सरजीत कौर के साथ विवाद होने के कारण हम अलग-अलग हो चुके थे। इसलिए उक्त सरजीत सिंह मेरी आराजी कृषि भूमि में दावेदार होकर हक प्राप्त करना चाहेगा तो वह झूठा मान्य होगा। उक्त दिनांक 05.02.2008 सही एवं वैध है। अतिरिक्त कथन के अनुसार मृतक केसर सिंह उर्फ केसरनाथ द्वारा लिखवाई गई अन्तिम वसीयत दिनांक 05.02.2008 में दर्ज तथ्य की सुरजीत सिंह प्रार्थी अलग रहता है और प्रार्थी सुरजीत सिंह मेरी पत्नि सुरजीत कौर की नाजायज औलाद थी। प्रार्थी का जन्म सरजीत कौर के साथ यह विवाद होने व अलग हो जाने के 3-4 वर्ष बाद में हुआ है। इससे साबित है कि प्रार्थी मृतक केसर सिंह का जायज वारिसान नहीं है और ना ही मृतक केसर सिंह के हिस्सा में से कोई भी हक व हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। अप्रार्थीगण का उक्त रकबा पर बिना किसी रोक टोक के कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी का उक्त रकबा पर न तो कब्जा काश्त है और ना ही उक्त रकबा में हक व हिस्सा है। इसलिए प्रार्थी को उक्त रकबा से जबरन बेदखल करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। उक्त वाद फर्जी व कूटरचित पारिवारिक समझौता दिनांक 25.05.1982 के जरिए पेश किया है लेकिन [illegible] कभी भी नहीं लिखकर दिया है और ना ही उक्त दस्तावेज पर मृतक केस[illegible]गुठा निशानी अंकित है। इसके अलावा उक्त दस्तावेज पंजीकृत भी [illegible] पर अवैध दस्तावेज दिनांक 25.05.1982 के आधार पर उक्[illegible] किया है। इसलिए भी उक्त दस्तावेज पर सन्देह पैदा होता है कि उक्त दस्तावेज प्रार्थी द्वारा [illegible]न में फर्जी तैयार करके उक्त मुकदमा पेश किया है जो कि मय खर्चा खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.03 11:39:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

A2
3
525
16

सुरजीत सिंह बनाम गुरमैल कौर आदि

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए, प्रकरण संख्या 525/2016

बहस वकील प्रार्थी व अप्रार्थीगण राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमने पत्रावली एंव उस पर राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया एंव विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारन की बहस पर मनन किया। हम प्रकरण का अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एंव सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णीत करना आवश्यक समझते है:-

1. **प्रथम दृष्टया मामला**:- इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाए, क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है। प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुतः दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वाद ग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का प्रर्याप्त आधार प्राप्त हैं।

उपर्युक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी सुरजीत सिंह ने स्वयं को केसर सिंह की प्रथम पत्नि जंगीर कौर की संतान होने का कथन किया है। तथा एक परिवारिक समझौता की लिखित 25.05.1982 की पेश की है। जिसमें प्रार्थी को 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रदान की गई है। उपर्युक्त के संबध में अप्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि इकरारनामा/ लिखित के आधार पर प्रार्थी ने हाजा न्यायालय में खातेदारी अधिकारो की घोषणा बाबत वाद प्रस्तुत किया है। जो कि हाजा न्यायालय में श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार से बाहर है। साथ ही अप्रार्थीगण ने कथन किया कि केसर सिंह की जंगीर कौर के नाम की कोई पत्नि ही नहीं थी। दौराने बहस तथा जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण ने कथन किया कि केसर सिंह की सुरजीत सिंह नामक संतान उनकी पत्नि सरजीत कौर की नाजायज औलाद थी। तथा प्रार्थी सुरजीत सिंह के पैदा होने से 3-4 वर्ष पूर्व ही सरजीत कौर, केसर सिंह से अलग हो गई थी। उक्त तथ्यों का कथन अप्रार्थीगण ने केसर सिंह द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में की गई वसीयत दिनांक 05.02.2008 में भी किया है। साथ ही अप्रार्थीगण ने दौराने बहस यह जाहिर किया कि प्रार्थी द्वारा पंचायत के द्वारा दिया गया वारिसनामा पेश किया है लेकिन वारिसानामा का प्रमाण पत्र देने का हक पंचायत को नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन पर दोनो पक्षों की बहस पर हमने विस्तारपूर्वक मनन किया गौर किया तथा संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण का यह कथन कि लिखित इकरारनामे के आधार पर प्रार्थी द्वारा हाजा न्यायालय में वाद दायर कर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है जो हाजा न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है, उक्त कथन के बारे में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि यह साक्ष्य का विषय है। तथा मूलवाद में निर्णीत होगा।

अप्रार्थीगण का कथन कि सुरजीत सिंह, केसर सिंह का वारिस न होकर उनकी नाजायज संतान है, तथा उनकी प्रथम पत्नि का नाम जंगीर कौर नहीं होकर सर्वजीत कौर था। उक्त कथन के बारे में हमारा यह विनम्र अभिमत है। कि यह साक्ष्य का विषय है जो मूलवाद में निर्णीत होगा।

अप्रार्थीगण का कथन कि पंचायत को वारिसनामा प्रमाण पत्र देने का कोई हक नही है के संबध में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि यह साक्ष्य का विषय होने से मूलवाद के निर्णीत होगा।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी ब्दारा हाजा न्यायालय मे खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद विचाराधीन है साथ ही प्रार्थी स्वंय को केसरसिंह का वारिस होने के कथन किए है वारिस है या नही उक्त विषय मूलवाद के [illegible] विनम्र अभिमत है कि मूलवाद निर्णीत होने तक प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष [illegible] होता है।

2. **सुविधा का संतुलन**:- अस्थाई व्यादेश [illegible] एक आवश्यक एंव महत्वपुर्ण घटक है, इसका सामान्य तात्पर्य [illegible] में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी/वादी को अधिकतम असुविधा होगी । चूकिं हस्तगत प्रार्थन[illegible] के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित हो चुका है। तथा प्रार्थी ने खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.03 11:39:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

A2/4

525/16

3. **अपूरणीय क्षतिः-** उक्त प्रार्थना पत्र के आलोक में प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन दोनों प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित हुए है। चूकिं प्रार्थी के उक्त आराजी में अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत् वाद हाजा न्यायालय में विचाराधीन है। यदि उक्त प्रकरण में प्रार्थी को अस्थाई व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अप्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार के राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन करने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो सकती है।

अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र के आलोक में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी/वादी के पक्ष में तीनों बिन्दु यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति बखूबी साबित होने के कारण अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना हक विधि संगत समझते है।

-:आदेशः-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। अस्थायी व्यादेश बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय का पारित किया जाता है कि वे चक 42 जीजी तहसील श्रीकरणपुर के खाता संख्या 25/24 जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के मुरब्बा नम्बर 42 की कुल 6.200 हैक्टर नहरी भूमि में केसर सिंह पुत्र नर सिंह के नाम दर्ज 1/7 हिस्सा भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में ताफैसला वाद परिवर्तन न करें एवं न ही उक्त आराजी का बेचान, रहन या अन्य किसी तरीके से हस्तान्तरण करे। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो/ बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

24/12/20

{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 24/12/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

24/12/20

{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.03 11:39:29 IST
Reason: SelfAttested